कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के नियम 31 (ख) के प्रावधानान्तर्गत प्रधानाचार्य–उमावि एवं समकक्ष पद पर वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही मे की गई अनुशषांओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेशांक : शिविरा– माध्य/संस्था–डीपीसी/ प्रभाग–2/ प्रधानाचार्य/2021–22 दिनांक 21.06.2023 द्वारा चयन किये जाने पर निम्नांकित कार्मिक को इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर काउन्सलिंग के माध्यम से प्राचार्य–उमावि एवं समकक्ष (पे–लेवल 16) में पदोन्नति पर पदस्थापित किया जाता है :–

S. N	SNR.NO.	SUB SNR NO.	SNR. YEAR	NAME	DOB	PRESENT POSTINSG PALACE/SCHOOL	DIST.	POSTING PALACE ON PERMOTION	ALLOTED DIST.
1	529	410	2012-13	ISHWAR PRAJAPAT	05-07-1985	SHAHID NIMBARAM DUDI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SALWA KALLAN (219094) BLOCK MANDORE	JODHPUR	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL GGSSS BHIKAMKOR (476648)	JODHPUR

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क–2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक 16.03.2023 के प्रावधानान्तर्गत यदि किसी चयनित अभ्यर्थी के दिनांक 01 जून, 2002 अथवा उसके पश्चात संतानोत्पति के फलस्वरूप दो से अधिक संतान हो, एवं तत्समय 02 से अधिक संतान होने संबंधी सूचना के अभाव में उन्हे चयन हेतु अपात्र नही माना गया हो तो, ऐसे अभ्यर्थी चयन तिथि के तीन पश्चातवृत्ति वर्षो के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु काल्पनिक रूप से हकदार होगे और ऐसे तीन वर्षो के पश्चात उसे ऐसी काल्पनिक वेतन वृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नही किया जायेगा।

नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद , जन्म तिथि एवं धारित अर्हता एवं विभागीय जांच (सीसीए नियम 16 व 17 में) बकाया नहीं होने का मिलान कर पुष्टि करेंगे, तथा यह भी सुनिश्चित करेगें कि कार्मिक का वरिष्ठता वर्ष वर्तमान कार्यरत मण्डल का ही हो, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नही करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल absecsecedu@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे।

संबंधित अधिकारी नियत दिनांक **07-08-2023** तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेगें। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगें । कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी(संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल सूचित करेंगे।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/बी1–बी2/डीपीसी 2021–22/प्रधाना./काउ./2022/E-02456 (1) दिनांक :– 21-07-2023

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
4. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य–डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
7. स्टॉफ ऑफिसर निजी अनुभाग, निदेशक महोदय कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है उक्त कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण/कार्यमुक्त की सूचना अपडेट करें।
10. अनुभाग अधिकारी डीपीसी अनुभाग कार्यालय हाजा।
11. संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण/कार्यमुक्त की सूचना तत्काल अपडेट करें।
12. संबंधित अधिकारी
13. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
Date: 2023.07.21 1?:53:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4327549

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते